

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

प्रकरण संख्या :-20/25

प्रार्थी .

बनाम

अप्रार्थी

एस.एम.एफ.जी. इंडिया होम फाइनेंस  
कम्पनी लिमिटेड  
केसर मॉल, प्रथम तल, प्लॉट न.  
115-ए, अपैक्स मॉल के सामने,  
टोक रोड जयपुर जरिये प्राधिकृत  
अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह राठौर

- आविद अली पुत्र अदरीम जी व्यापारी  
ग्राम रिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला  
जोधपुर
- सूफिया आविद अली  
व्यापारियों का बास, रिया सेठो की  
रियान, जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन  
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक:-25-04-2025

1-विरेन्द्र सिंह इन्दा अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थीपक्ष की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण आविद अली पुत्र अदरीम जी व्यापारी व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रुपये 4,36,136/-मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण आविद अली पुत्र अदरीम जी व्यापारी की जायदाद पट्टा न. 33, मिसल न. 37/2012-13 ग्राम पंचायत-रिया, पंचायत समिति-बिलाडा, जिला जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 121 वर्गगज, जिसके उत्तर में बदरू निशा का मकान, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में स्वयं का खाली मुखण्ड व निकाल, पश्चिम में आसीन खा का मकान आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असमर्थ रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किया गया।



Signature valid

Digitally signed by J. Inda, DN: cn=J. Inda, o=J. Inda, ou=J. Inda, email=J. Inda@jodhpur.gov.in, c=IN, Reason: Approved  
Date: 2025.04.25 18:13:09 IST  
Page 1 of 2

भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 4,36,136/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 18.11.2024 तक 4,65,503/- वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्त/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीइन्ड्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद आबिद अली पुत्र अदरीम जी व्यापारी की जायदाद पट्टा न. 33, मिसल न. 37/2012-13 ग्राम पंचायत-रिया, पंचायत समिति-बिलाडा, जिला जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 121 वर्गगज. जिसके उत्तर में बदरु निशा का मकान, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में स्वयं का खाली मुखण्ड व निकाल, पश्चिम में आसीन खा का मकान आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की



आदेश आज दिनांक 25-04-2025 को सुनाया गया।

(सदर) जिला मजिस्ट्रेट  
जोधपुर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by G. Nav Agrawal  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.04.25 18:13:09 IST  
Reason: Approved

Page 2 of 2